



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/एसआई/2014/3108

भोपाल, दिनांक: 01/11/2014

परिपत्र

प्रति,

संचालक,
समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएं

विषय- संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के अकादमिक अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के संबद्ध अध्ययन संस्था रेग्युलेशन 2008 क्र.18 के चेप्टर 6 की धारा 6.6 के निम्नालिखित उद्धरण का अवलोकन करें :-

“ACADEMIC AUDIT : The University may also carry out academic audit to examine the academic process. The audit shall include maintenance of attendance register, schedule of classes, list of faculty members and their bio-data, internal exam records, assignments, students feedback, library, monthly progress report, instructional recourses utilization. On the basis of such criterions, University may work out a grading system so that associate study institute could be classified on the basis of their contribution in academic excellence.”

उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत संबद्ध अध्ययन संस्थाओं की अकादमिक गुणवत्ता का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु “अकादमिक आडिट” का निर्धारित प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। सभी संबद्ध अध्ययन संस्था संचालकों से अनुरोध है कि उक्त प्रारूप का अच्छी तरह से अध्ययन करे तथा अपनी संस्था के अभिलेखों का संधारण इस प्रारूप के अनुसार करे। ताकि भविष्य में आपकी संस्था में अकादमिक ऑडिट कराते समय कोई कठिनाई न हो।

(दीपक शर्मा)
निदेशक (ए.एस.आई.)

संलग्न : अकादमिक ऑडिट का प्रोफार्मा (1-5 पृष्ठ)